उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0अपील (पी0डी0एस0) वाद सं0 26/2021–22

चुड़का टुडू.....अपीलकर्त्ता।

बनाम

सरकार.....उत्तरकारी

आदेश

28.01.2022

यह रे0मि0 (जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति) अपील वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0–34/2002 को उनके द्वारा अनाज वितरण में अनियमितताएँ किये जाने के क्रम में रद्ध किये अनुज्ञप्ति के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र, झारखण्ड, संवाद संख्या–2019–25540 दिनांक–27.02.2019 के द्वारा अपीलकर्त्ता (जन वितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम+पंचायत–मोहलबोना प्रखंड–रानेश्वर) के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रानेश्वर से जाँच कराया गया जिसका प्रतिवेदन पत्रांक–56 दिनांक–20.08.2019 द्वारा प्राप्त है, में उल्लेख है कि :–

1. विक्रेता (अपीलकर्त्ता) के द्वारा कार्डधारियों को युनिट के अनुसार पूर्ण खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है।
2. माह मई– 19 एवं जून– 19 से कुछ कार्ड धारियों को वितरण नहीं किया गया है।
3. विक्रेता की दुकान बन्द रहता है जिसके कारण कार्डधारी परेशान होता है।

विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण में किये जा रहे अनियमितता के कारण अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति को निलंबित करने हेतु अनुशंसा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रानेश्वर द्वारा किया गया।

इस आधार अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली दुकान को निलंबन करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई।

अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण उनके जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0–34/2002 को तत्कालीन प्रभाव से आदेश दिनांक–04.11.2019 को रद्ध किया गया। जिसमें उल्लेख है कि :–

1. अपीलकर्त्ता द्वारा प्रत्येक माह खाद्यान की काटौती हो रही है। जिसके चलते संबंद्ध किये गये विक्रेता को कार्डधारियों के बीच खाद्यान्न वितरण में कठिनाई हो रही है।

2. विक्रेता के द्वारा माह अक्टूबर 19 एवं नवम्बर 19 का खाद्यान्न वितरण में काफी अनियमितता की गई है जो अनुज्ञप्ति के शर्तो का घोर उल्लघंन है जिसके कारण पी0एच0एच0 मद से 14 क्विंटल एवं अन्तयोदय मद से 1.40 क्विंटल चावल की कटौती हुई है।

इस पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

1. अपीलकर्त्ता द्वारा नियमित तथा उचित मात्र मूल्य पर कार्डधारियों को खाद्यान्न की वितरण की गई है, किसी से अधिक मूल्य प्राप्त नहीं किया गया है।

2. कभी–कभी कार्डधारी द्वारा कार्ड नहीं लाने के कारण पंजी में उल्लेख के आधार पर कार्ड में दर्ज किया गया है।

3. उनके द्वारा खाद्यान्न वितरण अधिकृत व्यक्ति के समक्ष ही किया गया है।

4. उनके द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा "टेबुल रिपोर्ट" समर्पित किया गया है।

अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय।

उत्तरकारी सरकारी अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

अपीलकर्त्ता पर लगाये गये आरोपो की जाँच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, रानेश्वर से कराई गई। प्रतिवेदन के अनुसार :–

1. अपीलकर्त्ता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियिमतताएँ की गई है।
2. माह मई एवं जुन 2019 में कुछ कार्डधारियों को खाद्यान्न की वितरण नहीं की गई है।
3. दुकान प्रायः बन्द रहता है, जिसके कारण कार्डधारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है।

निष्कर्ष

अभिलेखों के अवलोकन तथा उभय पक्ष को सुनने से यह स्पष्ट होता है कि वर्णित मामलों में प्रथम दृष्टया अनाज वितरण में अनियमितताएँ किया गया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा PUCL vrs Union of India (2013) के Food grane Pilferage रोकने के संबंध में पारित न्यायादेश का उल्लंघन है। वर्णित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में FIR तथा उसके समुचित Follow up की भी आवश्यकता है।

आदेश

उपरोक्त वर्णित तथ्यो से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितताएँ किया गया है जो आरोप गंभीर है। ऐसी स्थिति में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के आदेश को सही पाते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन को खारीज किया जाता है तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर वर्णित वाद में पारित निदेश तथा PDS से संबंधित वाधवा समिति की रिपोर्ट के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाइ हेतु निदेश दिया जाता है।

6528 dt 14/3/22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.06 12:00:52 +05:30
Location: 169.254.227.244

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।